

भाग 4

(रिटर्निंग आफिसर द्वारा भरा जाए)

नामनिर्देशन-पत्र की क्रम सं०.....०१५०६१

यह नामनिर्देशन मुझे/मेरे कार्यालय में.....०९.०५.२०१८ (तारीख) को १.०० P.M. (बजे)

*अभ्यर्थी/प्रस्थापक मो. इमदीर इलम (नाम) द्वारा परिदत्त किया गया।

तारीख०९.०५.२०१८

लागू न होने वाले शब्द काट दीजिए।

०९.०५.१८
 निवासी पदाधिकारी
 रिटर्निंग आफिसर
 ५०-जीकीहाट वि०स०
 -सह- अपर समाहर्ता
 भररिया

भाग 5

नामनिर्देशन-पत्र को प्रतिगृहीत या रद्द करने वाले रिटर्निंग आफिसर का विनिश्चय

मैंने इस नामनिर्देशन-पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 36 के अनुसार परीक्षित कर लिया है और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूं :-

.....

.....

.....

तारीख

रिटर्निंग आफिसर

(छिद्रण)

(नियम 4 क देखिए)



AFFIDAVIT No. - 85/2018



NOTARY ARARIA

50 - जोकीहाट निर्वाचन क्षेत्र से

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)



विधान सभा (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष

अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

भाग - क

मैं मो० शब्बीर अहमद ** पुत्र- दिलावर हुसैन, उम्र- 65 वर्ष, जो ग्राम- रामनगर, टोला कुम्हिया, पो०-मैना हाट, थाना-पलासी, जिला-अररिया (डाक का पूरा पता लिखें) का निवासी हूँ, और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ :-

(1) मैं (** राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी/ **एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ।

(2) मेरा नाम 50 - जोकीहाट (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं. 51 के क्रम सं. 213 पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा 9934898583 सम्पर्क दूरभाष संख्या/ है और शून्य मेरा ई-मेल पता (यदि कोई हो) है

तथा (i) शून्य (ii) शून्य (iii) शून्य

मेरा/ मेरे सोशल मीडिया खाता/ खाते (यदि कोई हो) है/ हैं।

Ranjan Kumar Verma
NOTARY
ARARIA (BIHAR)

9-5-18

(4) स्थाई लेखा संख्यांक (पैन) के ब्यौरे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्रास्थिति :

क्रम सं	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में, उपदर्शित कुल आय (रुपए में)
1.	स्वयं	BDZPA2270B	शून्य	शून्य
2.	पत्नी- शाहनाज खातुन	शून्य	शून्य	शून्य
3.	आश्रित-1 (पुत्र) रागीब अनवर	शून्य	शून्य	शून्य
4.	आश्रित-2 (पुत्र) राशिद शाहनवाज	शून्य	शून्य	शून्य
5.	आश्रित-3 (पुत्र) नदीम अहमद	BCZPA1766M	शून्य	शून्य

(5) मैं/हम किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हैं जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं। यदि अभिरक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी:-

(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	(i) सिकटी था० का० सं. - 08/02 (ii) पलासी था० का० सं.- 126/003
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है।	(i) 448/341/323/353/504/34 भा. द. वि. सूचक (लोकसेवक) को घेर कर मारपीट-गाली गलौज करना एवं सरकारी काम में बाधा डालना (ii) 143/148/149/342/323/332/337/353/379/380/452/307/427/504/109/120 (B) भा.द.वि.-आपराधिक षड्यंत्र के तहत नाजायज मजमा बनाकर घातक हथियारों से लैश होकर सरकारी थाने पर हमला कर सरकारी काम में बाधा पहुँचाना, लोकसेवक को जाने से मारने का प्रयास करना और सरकारी आवास एवं बैठक में लूटपाट एवं तोड़-फोड़ करना।
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	(i) जी० आर० 42/02 संज्ञान तिथि- 23/02/2007 मुख्य न्यायिक दण्डा०, अररिया (ii) जी० आर० 1386/2003 मुख्य न्या० द० अररिया दि. 26.11.2009
(घ)	न्यायालय जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	(i) श्री० आर० मिश्रा, न्या० द० अररिया (ii) द्वितीय अपर सत्र न्या०-अररिया (सत्र वाद सं. 357/14)
(ङ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए	(i) 30.03.2012 (ii) 13.03.2015
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं	(i) नहीं (ii) नहीं

Ranjan Kumar Verma
NOTARY
ARARIA (BIHAR)

Contd.

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है।

{पूर्वाक्त पद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न} :-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	शून्य
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहाँ न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है।	शून्य
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों) आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हो) के ब्यौरे	शून्य

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश नहीं दिया गया है।

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह

निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा :

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है

(क)	उन मामलों के ब्यौरे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है।	शून्य
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	शून्य
(ग)	अधिरोपित दंड	शून्य
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है यदि हाँ तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रास्थिति	शून्य

(7) मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे :-

टिप्पण 1 – संयुक्त स्वामित्व की सीमा उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 – जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं. रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3 – सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 – यहाँ आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5 – रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथक्तया दिए जाने हैं।

Rk 10/05/18
Ranjan Kumar Verma
NOTARY
ARARIA (BIHAR)

Conds

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	शाहनाज खातून पत्नी	रागिब अनवर आश्रित-1 पुत्र	राशिद शाहनवाज आश्रित-2 पुत्र	नदीम अहमद आश्रित-3 पुत्र
(i)	हाथ में नकदी	100000.00	50,000/-	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	बैंक खातों में जमा ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं) वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	भारतीय स्टेट बैंक, शाखा-मैना खाता नं. 31006732879 जमा राशि- 87359.56 (दि० 26.04.18)	भारतीय स्टेट बैंक, शाखा-मैना खाता नं. 31669475645 जमा राशि- 6202.00 (दि० 25.03.18)	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेचरों/शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पॉलिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किसी वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	शून्य	भारतीय जीवन बीमा निगम 1.5 लाख प्रीमियम 7000/- वार्षिक	शून्य	शून्य	शून्य
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्त तथा रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vi)	मोटरयान/वायुयान/याट/पोत (मेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रम करने का वर्ष और रकम)	(1) बोलरो जीप नं. बी. आर.-11जी. 7553 वर्ष 2010 कीमत-6.7 लाख रु० (2) यामहा मोटर सायकिल WMH-6720 वर्ष-1995 कीमत-15000रु०	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तुएं (भार और मूल्य के ब्यौरे)	शून्य	आभूषण सोना-5 तौला- 1.5 लाख रु० चाँदी- 1किलो 50,000रु०	शून्य	हीरो ग्लैमर वी.आर.-11 एस. 4551 वर्ष-2016 कीमत 60,000/-	शून्य
(viii)	कोई अन्य आस्तियों जैसे कि दावों/हित का मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ix)	समग्र कुल मूल्य	रु० 8,72,359.56	रु० 3,56,202.00	शून्य	रु० 60,000/-	शून्य

NOTARY
Govt. of Bihar
Regd No. 41051
(7217/J)
Expiry Date-
13.10.2018

Ranjan Kumar Verma
NOTARY
ARARIA (BIHAR)

आ. स्थावर आस्तियों के ब्यौरे

टिप्पण 1 – संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 – प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्ररूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	शाहनाज खातून पत्नी	राशिब अनवर आश्रित-1 पुत्र	राशिद शाहनवाज आश्रित-2 पुत्र	नदीम अहमद आश्रित-3 पुत्र
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियों) सर्वेक्षक संख्यांक (संख्याएं)	(क) मौजा-सिमरिया (अररिया) खाता-235, 37, 188 कुल रकबा-5.52 एकड़ (ख) मौजा रामनगर (अररिया) खाता-358, 357, 338 281, 392, 257 कुल रकबा-45.5डि० (ग) मौजा-बलुआ(अररिया) खाता-570 रकबा 6.66 एकड़ क्रय तिथि-03.12.13 कीमत 1.80 लाख रु० (घ) मौजा- छत्तरगाछ खाता-23 रकबा- 3.15 एकड़ क्रम तिथि- 28.08.2000 कीमत 1,32,500 रु०	मौजा सिमरिया (अररिया) खाता-235,	मौजा सिमरिया (अररिया) खाता-234	मौजा सिमरिया (अररिया) खाता-234, 235	मौजा सिमरिया (अररिया) खाता-234, 235
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	15.78½ एकड़	17 डि०	52 डि०	52 डि०	52 डि०
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं)	(क) एवं (ख)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	(ग)-03.12.2013 (घ)-28.08.2008	21.04.2015	22.06.2015	26.04.98	26.04.98
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	(ग) 1.8 लाख रु० (घ) 1,32,500/- रु०	रु० 3,90,000/-	रु० 12,34,000/-	रु० 2000/-	रु० 2000/-
	विकास सनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	35 लाख रु०	15 लाख रु०	15 लाख रु०	15 लाख रु०	15 लाख रु०
(ii)	गैर कृषि भूमि अवस्थिति (अवस्थितिया) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास सनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितिया) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

Ranjan Kumar Verma
NOTARY
ARARIA (BIHAR)

9.5.18

Contd.

	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास सनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेन्ट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वर्णित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हाँ/नहीं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास सनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(v)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vi)	पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	35 लाख रु०	15 लाख रु०	15 लाख रु०	15 लाख रु०	15 लाख रु०

(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ :-

(टिप्पण: कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरों का पृथक विवरण दें)

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	शाहनाज खातून पत्नी	रागिब अनवर आश्रित-1 पुत्र	राशिद शाहनवाज आश्रित-2 पुत्र	नदीम अहमद आश्रित-3 पुत्र
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	भारतीय स्टेट बैंक मैना शिक्षा ऋण खाता सं.- 30611816965 3,00000/-
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कोई अन्य दायित्व	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	दायित्वों का कुल योग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	300000/-

Ranjan Kumar Verma
NOTARY
ARARIA (BIHAR)

Conda

(ii)	सरकारी शोध: सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	टेलीफोन/मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाल विभाग को शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकाप्टर सहित) बरतने वाल विभाग को शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अप-कर शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	धनकर शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सूचकर शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	नगरपालिका/संपत्ति कर शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विक्रयकर शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कोई अन्य शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	सभी सरकारी शोधों का कुल योग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हाँ तो अंतर्वलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :

(क) स्वयं – काश्तकारी

(ख) पत्नी – गृहणी

(9क) आय के स्रोतों के ब्यौरे:

(क) स्वयं – खेती

(ख) पत्नी – शून्य

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिये अनुसार हैं :- मैट्रिक— बिहार वि० पं० समिति, पटना, 1977 –द्वितीय
इन्टर साइंस— मिथिला विश्व विद्यालय 1979 – तृतीय
स्नातक साइंस – मिथिला विश्व विद्यालय 1982— तृतीय

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें।

9.5.18

Ranjan Kumar Verma 7
NOTARY
ARARIA (BIHAR)

Contd.

भाग-ख

(11) भाग- क के (1) से (10) तक में लिए गये ब्यौरे का उद्धरण

1	अभ्यर्थी का नाम		श्री मो० शब्बीर अहमद			
2	डाक का पता		ग्राम-रामनगर, टोला-कुम्हिया पो०-मैना, थाना-पलासी जिला-अररिया			
3	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य		50 – जोकीहाट (बिहार)			
4	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा स्वतंत्र लिखें)		स्वतंत्र			
5	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।		दो			
5	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है (उपर मद (i) में उल्लिखित मामलों से भिन्न)		शून्य			
6	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए)		शून्य			
7		का स्थायी लेखा सं०	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गयी है।		कुल दर्शित आय	
	(क) अभ्यर्थी	BDZPA2270B	शून्य		शून्य	
	(ख) पत्नी	शून्य	शून्य		शून्य	
	(ग) आश्रित नदीम अहमद	BCZPA1766M	शून्य		शून्य	
8	आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रूपये में)					
	विवरण	स्वयं	पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
क	जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)	रु० 8,72,359.56	रु० 3,56,202.00	शून्य	रु० 60,000.00	शून्य

Ranjan Kumar Verma
NOTARY
ARARIA (Bihar)

Contd.

	स्थावर आस्तियां					
I.	स्वअर्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	रु० 3,12,500.00	रु० 3,90,000.00	रु० 12,34,000.00		
II.	क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	शून्य				
III.	निम्नलिखित की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	3,12,500.00	3,90,000.00	12,34,000.00		
III.	(क) स्वर्जित आस्तियां (कुल मूल्य)	रु० 10,00000.00	रु० 15,00000.00	रु० 15,00000.00	रु० 15,00000.00	रु० 15,00000.00
	(ख) विरसती आस्तियां (कुल मूल्य)	रु० 25,00000.00				
9	दायित्व					
(i)	सरकारी शोध (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	3,00000.00
10	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन है					
(i)	सरकारी शोध (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	3,00000.00
11	उच्चतम शैक्षिक अर्हता: विज्ञान स्नातक (प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें।)					

Ranjan Kumar Verma
NOTARY
ARARIA (BIHAR)

Contd.

सत्यापन



उपर उल्लिखित अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु की सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें कोई भी तात्त्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि:-

(क) मेरे विरुद्ध उपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दायित्व (Liability) के लंबित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है;

(ख) मेरी पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास उपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख 09.05.18 को सत्यापित किया गया।

Subscribed by Md. Shabbir Ahmed
Who is identified by A.K. Mishra
Advocate solemnly affirmed
and declare before me.

Identified by
A.K. Mishra
09.5.18.

अभिसाक्षी

- टिप्पण: 1. ~~Ranjan Kumar Verma~~ **NOTARY ARARIA (BIHAR)** फाइल करने के अंतिम दिन को 3.00 बजे अपराह्न तक फाइल किया जाना चाहिए।
- टिप्पण: 2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।
- टिप्पण: 3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़ें, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थित "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।
- टिप्पण: 4. शपथपत्र टंकित या सुपाद्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।
- टिप्पण: 5. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2013 को WP(C) संख्या 121-2008 में रिसर्जेंस इंडिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य, के मामले में अभ्यर्थियों द्वारा अपूर्ण शपथ-पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में दिए गए न्याय निर्णय के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र के सभी स्तंभों को भरा जाना है। कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाते समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह जांच कर लिया जाना है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी स्तंभ भर लिए गये हैं, अगर ऐसा नहीं किया गया है तो निर्वाची पदाधिकारी, अभ्यर्थी को खाली स्तंभों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु स्मार देंगे। माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि अगर किसी मद में उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई जानकारी नहीं है तो "शून्य" या "लागू नहीं" या "ज्ञात नहीं" जो उपयुक्त हो, ऐसे स्तंभ में दर्ज किये जायेंगे। उनके द्वारा कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि अभ्यर्थी स्मार दिये जाने के बाद भी स्तंभ को भरे जाने में असफल होता है तो नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के समय नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।
- टिप्पण: 6. शपथ पत्र के पारा 3 में जानकारी निम्नलिखित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

"मेरा दूरभाष सम्पर्क संख्या/संख्यायें है/हैं 9934898583-9934278008

मेरा ई-मेल आईडी0 (अगर कोई हो) है.....

एवं मेरा सोशल मीडिया एकाउंट्स (अगर कोई हो) है.....



RS-100/-
08.05.2018

Annexure

Additional Affidavit to be submitted by candidates

Election to Legislative Assembly (Name of the House);

From 50 - Joki hat Constituency

AFFIDAVIT No - 86/2018

I Md. Shabbir Ahmad (Name of Candidate), Son/Daughter/wife of Dilawar Hussain, aged 55 years, Resident of Vill - Ramnagar Tola - Kumhiya, P.O. - Maina - Hat Dist. - Araria a Candidate at the above election, do solemnly affirm and state on oath as under :-

(i) I have not been allotted any govt. accommodation at any time during the period of last 10 years prior to the date of notification of the current election.

OR

(ii) I have been allotted govt. accommodation at _____ (mention the address of the accommodation) during the period of last 10 years prior to the date of notification of the current election, and there are no arrears of any dues to be paid towards rent for the accommodation or any arrears to the agencies providing electricity, water and telephone at the said accommodation as on _____ (the date should be the last date of the 3rd month prior to the month in which the election is announced).

Authorized Under the Indian Evidence Act (Act I of 1872) read with 8 (D) of the Notary Act (Act III of 1952)

(iii) "No dues Certificates" from the agencies concerned are attached hereto.

VERIFICATION

I, the deponent above named, do hereby verify and declare that the above statements are correct to the best of my knowledge, and no part of it is false.

Verified at Araria this the 9th day of May 2018.

Subscribed by Md. Shabbir Ahmad
Who is identified by A. K. Mishra
Advocate solemnly affirmed and declare before me.

Ranjan Kumar Verma
NOTARY
ARARIA (BIHAR)

DEPONENT

Identified
Adv.
09.5.18